2015 का विधेयक संख्यांक 229

[दि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज (सेलरिज एंड कंडिशन्स आफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2015 है ।

(2) धारा 8 के उपबंध 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत हों, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- 1954 का 28

(क) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) में, "भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 222 की उपधारा (2) के अधीन अथवा" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, "भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 222 की उपधारा (3) के अधीन या" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, "किसी भूतपूर्व भारतीय उच्च न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में किसी अवधि या अवधियों के लिए की गई पूर्व सेवा" के स्थान पर, "कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में किसी अवधि या अवधियों के लिए की गई सेवा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) और उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी न्यायाधीश को किसी कलेण्डर वर्ष में इतने दिनों की और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, आकस्मिक छुट्टी अनुज्ञेय हो सकेगी ।"।

धारा 4क का संशोधन ।

4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 4क में, "अपने खाते में उपार्जित छुट्टी की अवधि की बाबत" शब्दों के स्थान पर, "पूरे भत्तों के आधार पर संगणित अपने खाते में उपार्जित छुट्टी की अवधि की बाबत," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9 का नई धारा से प्रतिस्थापन । छुट्टी भत्ते ।

5. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"9. किसी न्यायाधीश को, संदेय छुट्टी वेतन की मासिक दर धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार होगी ।"।

धारा 10 का लोप ।

6. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 10 का लोप किया जाएगा ।

धारा 14 का संशोधन ।

7. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 14 के परंतुक में,--

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) उसने बासठ वर्ष की आयु न प्राप्त कर ली हो ; या";

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**--इस धारा में 'न्यायाधीश' से ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसने संघ या किसी राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण न किया हो और इसके अंतर्गत ऐसा न्यायाधीश भी है, जिसने संघ या राज्य के अधीन कोई

अन्य पेंशन योग्य पद धारण कर लेने पर, प्रथम अनुसूची के भाग 1 के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है ।"।

नई धारा 14क का अंतःस्थापन ।

8. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

सेवा के जोड़े गए वर्षों का फायदा ।

"14क. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन किसी ऐसे न्यायाधीश, जो संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (2) के उपखंड (ख) के अधीन ऐसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, की सेवा में पेंशन के प्रयोजनों के लिए दस वर्ष की अवधि जोड़ी जाएगी और उसे 1 अप्रैल, 2004 से जोड़ा हुआ समझा जाएगा ।"।

धारा 15 का संशोधन ।

9. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 15 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) में, "जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य नहीं है किन्तु" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) परंतुक में, ", यथास्थिति, भाग 2 या" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, ", यथास्थिति, भाग 2 या" शब्दों और अंक लोप किया जाएगा ।

धारा 16 का संशोधन ।

10. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 16 के परंतुक में, "भाग 2 या" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 17क का संशोधन ।

11. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 17क में,-

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) में, "भाग 2 और" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, "भाग 2 या" शब्दों और अंक लोप किया जाएगा ।

धारा 18 का लोप ।

12. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का संशोधन ।

13. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 20 के पहले परंतुक में,-

(i) "जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य है या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 23ख का लोप ।

14. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 23ख का लोप किया जाएगा ।

धारा 24 का संशोधन ।

15. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(कक). आकस्मिक छुट्टियों की संख्या और वे शर्तें, जिनके अध्यधीन इन्हें धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा ।"।

धारा 25 का लोप ।

16. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 25 का लोप किया जाएगा ।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

17. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(क) भाग 1 में,--

(i) पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :–

"1. इस भाग के उपबंध ऐसे न्यायाधीश को, जो संघ या किसी राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर नहीं रहा है या ऐसे न्यायाधीश को, जिसने संघ या राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर रहते हुए इस भाग के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है, लागू होंगे ।";

(ii) पैरा 2 में, "और जिसने पेंशन के लिए सेवा के कम से कम सात वर्ष पूरे कर लिए हैं," शब्दों का लोप किया जाएग ;

(iii) पैरा 8 और पैरा 9 का लोप किया जाएगा ;

(ख) भाग 2 का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 3

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

18. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (छ) में, "या तो फेडरल न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में या ऐसे किसी न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "उच्चतम न्यायालय में" शब्द रखे जाएंगे । 1958 का 41

धारा 3 का संशोधन ।

19. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी न्यायाधीश को किसी कलेण्डर वर्ष में इतने दिनों की और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, आकस्मिक छुट्टी अनुज्ञेय हो सकेगी ।"।

धारा 4क का संशोधन ।

20. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 4क में, "अपने खाते में उपार्जित छुट्टी की अवधि की बाबत" शब्दों के स्थान पर, "पूरे भत्तों के आधार पर संगणित अपने खाते में उपार्जित छुट्टी की अवधि की बाबत," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9 का प्रतिस्थापन ।

21. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

छुट्टी भत्ते ।

"9. किसी न्यायाधीश को संदेय छुट्टी वेतन की मासिक दर धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार होगी ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

22. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 13 के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण**–इस धारा में 'न्यायाधीश' से ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसने संघ या किसी राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण न किया हो और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो 20 मई, 1954 को न्यायाधीश के रूप में सेवा में था और इसके अंतर्गत ऐसा न्यायाधीश भी है, जिसने संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण कर लेने पर, अनुसूची के भाग 1 के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

23. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 14 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(1) ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश को, जिसने संघ या किसी राज्य के अधीन

कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण किया है, उसकी निवृत्ति पर अनुसूची के भाग 3 के उपबंधों के अनुसार पेंशन संदत्त होगी :

परंतु ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश, यथास्थिति, या तो अनुसूची के भाग 1 या अनुसूची के भाग 3 के अधीन उसको संदेय पेंशन प्राप्त करने का चयन करेगा और उसको संदेय पेंशन तदनुसार संगणित की जाएगी ।"।

(ख) उपधारा (2) में, "यथास्थिति, भाग 2 या" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 16क का संशोधन ।

24. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 16क के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, "भाग 2 और" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 18 का लोप ।

25. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का संशोधन ।

26. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 20 के परंतुक में, "जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य है या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 24 का संशोधन ।

27. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(कक). आकस्मिक छुट्टियों की संख्या और वे शर्तें, जिनके अध्यधीन इन्हें धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा ।"।

अनुसूची का संशोधन ।

28. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) भाग 1 में, पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"1. इस भाग के उपबंध ऐसे न्यायाधीश को, जो संघ या किसी राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर नहीं रहा है, लागू होंगे और ऐसे व्यक्ति को भी, जो 20 मई, 1954 को न्यायाधीश के रूप में सेवा में था और ऐसे न्यायाधीश को, जिसने संघ या राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर रहते हुए इस भाग के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है, लागू होंगे ।";

(ख) भाग 2 का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधेयक उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का संशोधन करने के लिए है । समय के साथ, पूर्वोक्त अधिनियमों के कतिपय उपबंध निरर्थक और अप्रचलित हो गए हैं । एक पुनर्विलोकन किया गया है और स्पष्टता के लिए उन्हें हटाने का और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर सेवा के वर्षों को जोड़ने का उपबंध करने के लिए विनिश्चय किया गया है । दोनों अधिनियमों में न्यायाधीशों के छुट्टी भत्तों का अवधारण करने के लिए कुछ उपबंधों का सरलीकरण करने की आवश्यकता थी ।

2. इस संबंध में यह वर्णन किया जा सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई रिट याचिका (सिविल) संख्या 521/2002/1954 के अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा के लिए एक अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष जोड़ने की प्रार्थना सेवा में जोड़े गए वर्षों के तर्क पर की गई है, अर्थात् विधिज्ञ में दस वर्ष की व्यवसाय अवधि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदान की गई है । उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 की धारा 13क के अधीन संविधान के अनुच्छेद 124 (3)(ख) के अधीन नियुक्त उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश पेंशन के लिए उनकी वास्तविक अर्हक सेवा में विधिज्ञ में दस वर्ष की व्यवसाय अवधि को जोड़े जाने का हकदार है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ तारीख 31 मार्च, 2014 के निर्णय में प्रार्थना को अनुज्ञात किया था और निदेश दिया था कि "पेंशन फायदे के लिए अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष की सेवा को तारीख 1 अप्रैल, 2004, वह तारीख जिसको उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2005 (2005 का 46) में धारा 13क जोड़ी गई थी, से विधिज्ञ से बनाए गए न्यायाधीश की सेवा में अर्हक सेवा के रूप में जोड़ दिया जाए ।"

3. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
6 अगस्त, 2015

डी.वी.सदानंद गौड़ा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 8, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 14 के पश्चात् नई धारा 14क अंतःस्थापित करने के लिए है, ताकि भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 1.4.2004 से किसी न्यायाधीश की सेवा को पेंशन के प्रयोजन के लिए दस वर्ष की अवधि को, जिसे संविधान के अनुच्छेद 217 (2) खंड (ख) के अधीन नियुक्त किया जाता है, जोड़ा जा सके ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की बाबत अतिरिक्त व्यय संबंधित राज्य सरकारें द्वारा संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन चुकाया जाना है । विधेयक यदि अधिनियमित किया जाता है और प्रचालन में लाया जाता है तो पेंशन में पुनरीक्षण के लेखे भारत की संचित निधि से अतिरिक्त आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा । भूतलक्षी प्रभाव से पेंशन के बकाया के संदाय के मद्दे गैर आवर्ती व्यय लगभग छह से सात करोड़ रुपए होगा और प्रति वर्ष पचहत्तर लाख रुपए का आवर्ती प्रकृति का व्यय होगा ।

विधेयक में आवर्ती या गैर आवर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 28) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं।

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(ख) 'कार्यकारी न्यायाधीश' से भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 222 की उपधारा (2) के अधीन अथवा संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (2) के अधीन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

* * * * *

(घ) 'अपर न्यायाधीश' से भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 222 की उपधारा (3) के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के अधीन अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) 'भूतपूर्व भारतीय उच्च न्यायालय' से रंगून का उच्च न्यायालय, लाहौर का उच्च न्यायालय, सिंध का मुख्य न्यायालय अथवा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का न्यायिक आयुक्त न्यायालय अभिप्रेत है;

* * * * *

(*2*) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवा की संगणना करने में, किसी भूतपूर्व भारतीय उच्च न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में किसी अवधि या अवधियों के लिए की गई पूर्व सेवा, न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है उसके सिवाय, कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति के रूप में की गई पूर्व सेवा मुख्य न्यायाधिपति के रूप में की गई सेवा के रूप में नही गिनी जाएगी।

(*3*) कार्यकारी न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में किसी न्यायाधीश को तत्समय लागू नियमों के अधीन उस न्यायाधीश द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, ली गई छुट्टी की अवधि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे माना जाएगा मानो वह उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन ली गई छुट्टी हो।

(*4*) किसी न्यायाधीश द्वारा, जब वह किसी भूतपूर्व भारतीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा कर रहा हो किसी उच्च न्यायालय में अपनी नियुक्ति से पूर्व ली गई छुट्टी की अवधि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे माना जाएगा मानो वह उसके द्वारा इसके अधिनियम के अधीन ली गई छुट्टी हो।

* * * * *

छुट्टी भुनाना।

4क. कोई न्यायाधीश अपने पूर्ण सेवाकाल में, जिसके अन्तर्गत सेवा की वह अवधि भी है, जो उसने संघ या किसी राज्य के अधीन किसी पेंशन वाले पद पर या पुनर्नियोजन पर, यदि कोई हो, की है, अपने खाते में उपार्जित छुट्टी की अवधि की बाबत अपनी सेवा निवृत्ति पर छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद का, अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के अधीन ऐसी छुट्टी के भुनाए जाने के लिए विहित अधिकतम अवधि की सीमा तक दावा करने का हकदार होगा।

* * * * *

छुट्टी भत्ते।

9. (*1*) किसी न्यायाधीश को, जब वह पूरे भत्तों पर छुट्टी पर हो तब, संदेय छुट्टी भत्तों की मासिक दर ऐसी छुट्टी के प्रथम पैंतालीस दिन के लिए वह होगी जो उसके वेतन की मासिक दर के बराबर है और उसके पश्चात्

मुख्य न्यायमूर्ति के मामले में, उसके वेतन की मासिक दर का पचपन प्रतिशत और प्रत्येक अन्य न्यायाधीश के मामले में, उसके वेतन की मासिक दर का साठ प्रतिशत होगी:

परन्तु जहां किसी न्यायाधीश को चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर पूरे भत्तों पर छुट्टी मंजूर की जाती है, वहां छुट्टी भत्तों की मासिक दर, ऐसी छुट्टी के प्रथम एक सौ बीस दिन के लिए, उसके वेतन की मासिक दर के बराबर दर होगी।

* * * * *

न्यायाधीशों को संदेय पेंशन।

14. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक न्यायाधीश को उसकी सेवा-निवृत्ति पर प्रथम अनुसूची के भाग 1 के मापमान और उपबंधों के अनुसार पेंशन दी जाएगी:

परंतु ऐसी कोई पेंशन किसी न्यायाधीश को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक—

* * * * *

(ख) उसमें बासठ वर्ष की आयु और 1963 के अक्तूबर के पांचवें दिन को अपने पद पर रहने वाले न्यायाधीश की दशा में साठ वर्ष की आयु न प्राप्त कर ली हो;

(ग) चिकित्सीय दृष्टि से यह प्रमाणित न कर दिया गया हो कि उसकी सेवानिवृत्ति अस्वस्थ रहने के कारण आवश्यक हो गई है:

परंतु यह और कि यदि कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय संघ या राज्य में किसी पूर्व सेवा की बाबत कोई पेंशन (जो नि:शक्तता या ऋण पेंशन से भिन्न हो) पा रहा है, तो इस अधिनियम के अधीन संदेय पेंशन उस पेंशन के बदले में होगी, न कि उसके अतिरिक्त।

स्पस्टीकरण—इस धारा में 'न्यायाधीश' से ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य न हो या जिसने संघ या किसी राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण न किया हो और इसके अंतर्गत ऐसा न्यायाधीश भी है, जिसने, भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होते हुए अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण कर लेने पर, प्रथम अनुसूची के भाग 1 के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है।

ऐसे न्यायाधीशों की बाबत जो सेवा के सदस्य हैं पेंशन के लिए विशेष उपबन्ध।

15. (*1*) प्रत्येक न्यायाधीश को—

(क) जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य है, उसकी सेवानिवृत्ति पर, प्रथम अनुसूची के भाग 2 में दिए गए मापमान और उपबंधों के अनुसार पेंशन दी जाएगी;

(ख) जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य नहीं है किंतु जो संघ या राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर रहा है, अपनी सेवानिवृत्ति पर, प्रथम अनुसूची के भाग 3 में दिए गए मापमान और उपबंधों के अनुसार पेंशन दी जाएगी:

परंतु ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश को यह चयन करना होगा कि वह, यथास्थिति, प्रथम अनुसूची के भाग 1 के अधीन उसे संदेय पेंशन लेगा या प्रथम अनुसूची के भाग 2 या भाग 3 के अधीन संदेय पेंशन लेगा, और तद्नुसार उसे संदेय पेंशन की संगणना की जाएगी।

(*2*) उपधारा (*1*) में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायाधीश जिसको वह उपधारा लागू होती है और जो 1974 के अक्तूबर के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् सेवा में है, यदि उसने, प्रथम अनुसूची के, यथास्थिति, भाग 2 या भाग 3 के अधीन अपने को संदेय पेंशन लेने का चयन उस उपधारा के परंतुक के अधीन उस तारीख के पूर्व जिसको उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 1976 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, कर लिया है तो, ऐसे चयन को रद्द कर सकता है और प्रथम अनुसूची के भाग 1 के अधीन अपने को संदेय पेंशन लेने का फिर से चयन कर सकता है और ऐसी किसी न्यायाधीश के बारे में, जिसकी मृत्यु ऐसी अनुमति की तारीख के पूर्व हो जाती है, यह समझा जाएगा कि उसने उक्त भाग 1 के उपबंधों द्वारा शासित होने के लिए फिर से चयन उस दशा में किया है जिसमें उस भाग के उपबंध उसके लिए अधिक अनुकूल है।

पेंशन के लिए सेवा में अवधि जोड़ने की राष्ट्रपति की शक्ति।

16. भारत का राष्ट्रपति विशेष कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि तीन मास से अनधिक की कोई भी अवधि किसी न्यायाधीश की पेंशन के लिए सेवा में जोड़ दी जाएगी:

परन्तु प्रथम अनुसूची के भाग 1 या भाग 2 या भाग 3 के अधीन किसी अतिरिक्त पेंशन की संगणना करने में उक्त प्रकार से जोड़ी गई अवधि को निकाल दिया जाएगा।

* * * * *

कुटुम्ब पेंशन और उपदान।

17क. (*1*) जहां किसी ऐसे न्यायाधीश की जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 1986 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् सेवा में है, चाहे सेवानिवृत्ति के पूर्व या उसके पश्चात् ऐसी परिस्थितियों में, जिनको धारा 17 लागू नहीं होती है, मृत्यु हो जाती है वहां उसकी मृत्यु की तारीख को उसके वेतन के पचास प्रतिशत की दर से संगणित कुटुम्ब पेंशन उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को संदेय होगी और इस प्रकार संदेय रकम न्यायाधीश की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक की अवधि के लिए, उसको, यदि वह न्यायाधीश जीवित रहता तो, उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त की होती, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, और उसके पश्चात् वेतन के तीस प्रतिशत की दर से और उसके पश्चात् न्यूनतम एक हजार दो सौ पचहत्तर रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए संदत्त की जाएगी। ''परंतु किसी भी दशा में, इस उपधारा के अधीन संगणित कुटुम्ब पेंशन की रकम इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश को संदेय पेंशन से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन कुटुम्ब पेंशन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए—

(i) किसी ऐसे न्यायाधीश के संबंध में, जो प्रथम अनुसूची के भाग 1 के अधीन पेंशन लेने का चयन करता है या पेंशन पाने का पात्र है, केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह ''क'' के किसी अधिकारी के संबंध में कुटुम्ब पेंशन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों की बाबत तत्समय प्रवृत्त नियम, अधिसूचनाएं और आदेश लागू होंगे;

(ii) किसी ऐसे न्यायाधीश के संबंध में, जो प्रथम अनुसूची में भाग 2 और 3 के अधीन पेंशन लेने का चयन करता है, कुटुम्ब पेंशन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों की बाबत, यदि वह न्यायाधीश नियुक्त न किया गया होता, तो उसकी सेवा के साधारण नियम लागू होंगे और न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा उसमें की गई सेवा मानी जाएगी।

(*2*) जहां कोई ऐसा न्यायाधीश, जिसने प्रथम अनुसूची के भाग 2 या भाग 3 के अधीन उसे संदेय पेंशन लेने का चयन किया है, सेवानिवृत्त हो जाता है या ऐसी परिस्थितियों में जिनको धारा 17 लागू नहीं होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है वहां उसे उपदान, यदि कोई हो, उसकी सेवा के साधारण नियमों के अधीन, यदि वह न्यायाधीश नियुक्त न किया गया होता तो, उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को संदेय होगा और न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा उस उपदान की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उसमें की गई सेवा मानी जाएगी।

* * * * *

स्टर्लिंग पेंशन का रुपयों में संपरिवर्तन।

18. केवल स्टर्लिंग में अभिव्यक्त पेंशनें, यदि वे भारत में दी जाएं तो, विनिमय की ऐसी दर से, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, रुपयों में संपरिवर्तित की जाएगी।

* * * * *

भविष्य निधि।

20. प्रत्येक न्यायाधीश साधारण भविष्य-निधि (केन्द्रीय सेवा) में अभिदाय करने का हकदार होगा:

परन्तु ऐसा न्यायाधीश जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य है या जिसने संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य सिविल पद धारण किया है, उस भविष्य निधि में अभिदाय करता रहेगा जिसमें वह न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व अभिदाय करता था:

परन्तु यह और कि ऐसा न्यायाधीश जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त किया गया था, उस भविष्य निधि में अभिदाय करता रहेगा जिसमें वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व अभिदाय करता था।

* * * * *

23ख. (*1*) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी कार्य करते रहने वाले न्यायाधीश की पेंशन के लिए सेवा की संगणना करने में, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भाग-ख राज्य) आदेश, 1953 या उसे उस समय लागू किसी अन्य आदेश या नियम के उपबन्धों के अधीन, किसी भाग-ख राज्य में किसी भूतपूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अथवा न्यायाधीश के रूप में पेंशन के लिए उसकी पूर्व सेवा की गणना इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश के रूप में पेंशन के लिए सेवा के रूप में की जाएगी। कार्य करते रहने वाले न्यायाधीशों की बाबत विशेष उपबन्ध।

(*2*) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्य करते रहने वाले किसी न्यायाधीश को देय छुट्टी की अवधि की संगणना करने में, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भाग-ख राज्य) आदेश, 1953 या उसे उस समय लागू किसी अन्य आदेश या नियम के उपबन्धों के अधीन 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन से ठीक पूर्व से बाकी छुट्टी की अवधि इस अधिनियम के अधीन उसकी छुट्टी की अवधि में जोड़ दी जाएगी।

(*3*) इस धारा में, ''कार्य करते रहने वाले न्यायाधीश'' से भाग-ख राज्य में किसी भूतपूर्व उच्च न्यायालय का ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है जो 1956 की नवम्बर के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् की किसी तारीख को किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया है या नियुक्त किया गया है।

* * * * *

25. (*1*) इस अधिनियम की किसी बात का ऐसा प्रभाव नहीं होगा जिससे कि किसी न्यायाधीश को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यायाधीश के रूप में सेवा कर रहा है, उसकी अनुपस्थिति छुट्टी की बाबत भत्तों या उसके अधिकारों (जिनके अन्तर्गत छुट्टी भत्ते भी हैं) या पेंशन के लिए उन निबन्धनों की अपेक्षा कम अनुकूल हों जिनके लिए वह यदि हकदार होता, यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता। व्यावृत्तियां।

1958 का 46 (*2*) उच्च न्यायालय-न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 1958 द्वारा संशोधित इस अधिनियम की, किसी भी बात का ऐसा प्रभाव नहीं होगा जिससे कि किसी भाग-ख राज्य में किसी भूतपूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश को, उसकी अनुपस्थिति छुट्टी की बाबत भत्तों या उसके अधिकारों (जिनके अन्तर्गत छुट्टी भत्ते भी हैं) या पेंशन के लिए उन निबन्धनों की अपेक्षा कम अनुकूल हों, जिनके लिए वह उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भाग-ख राज्य) आदेश, 1953 या उसे लागू किसी अन्य आदेश या नियम के अधीन, हकदार होता, यदि वह उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना रहता और 1956 की नवम्बर के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा उस उच्च न्यायालय में सेवा के रूप में मानी जाएगी।

* * * * *

प्रथम अनुसूची

(धारा 14 और धारा 15 **देखिए**)

न्यायाधीशों की पेंशनें

भाग 1

1. इस भाग के उपबन्ध ऐसे न्यायाधीश को लागू होंगे जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य नहीं है या जो संघ या किसी राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य सिविल पद पर नहीं रहा है, और ऐसे न्यायाधीश को भी लागू होंगे, जिसने भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होते हुए अथवा संघ या राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर रहते हुए, इस भाग के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है।

2. इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी न्यायाधीश को, जिसे यह भाग लागू होता है और जिसने पेंशन के लिए सेवा के कम से कम सात वर्ष पूरे कर लिए हैं, संदेय पेंशन,—

(क) किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति के रूप में सेवा के लिए, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए तैंतालीस हजार आठ सौ नब्बे रुपए प्रतिवर्ष होगी;

(ख) किसी उच्च न्यायालय में किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में सेवा के लिए सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए चौंतीस हजार तीन सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष होगी:

परन्तु इस पैरा के अधीन पेंशन किसी भी दशा में, किसी मुख्य न्यायाधिपति की दशा में पांच लाख चालीस हजार रुपए प्रतिवर्ष और किसी अन्य न्यायाधीश की दशा में चार लाख अस्सी हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।

* * * * *

8. इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे न्यायाधीश को संदेय पेंशन, जिसने पेंशन के लिए सेवा के चौदह वर्ष पूरे कर लिए हैं और जिसके अन्तर्गत एक या अधिक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में की गई सेवा के कम से कम छह वर्ष सम्मिलित हों, पांच लाख चालीस हजार रुपए वार्षिक होगी।

9. जहां ऐसा न्यायाधीश, जिसे यह भाग लागू होता है, इस भाग के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन पेंशन के लिए पात्र हुए बिना, 1950 की जनवरी के छब्बीसवें दिन के पश्चात् किसी समय सेवानिवृत्त हो जाता है या हो गया है वहां, पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे न्यायाधीश को एक लाख सत्तावन हजार छह सौ सत्तर रुपए वार्षिक पेंशन संदेय होगी:

परन्तु इस पैरा को कोई भी बात—

(क) किसी अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश को लागू नहीं होगी; अथवा

* * * * *

भाग 2

1. इस भाग के उपबंध ऐसे न्यायाधीश को लागू होंगे जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य है और जिसने भाग-1 के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन नहीं किया है।

2. ऐसे न्यायाधीश को संदेय पेंशन:—

(क) वह पेंशन होगी जिसके लिए वह, यदि वह न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न किया गया होता तो, भारतीय सिविल सेवा के साधारण नियमों के अधीन हकदार है और न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा उस पेंशन की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिविल सेवा में की गई सेवा समझी जाएगी, और

(ख) वह अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो, होगी, जिसका वह पैरा 3 के अधीन हकदार है:

परन्तु खंड (क) के अधीन पेंशन और खंड (ख) के अधीन अतिरिक्त पेंशन, एक साथ मिलकर किसी भी दशा में किसी मुख्य न्यायाधिपति की दशा में पांच लाख चालीस हजार रुपए प्रतिवर्ष और किसी अन्य न्यायाधीश की दशा में चार लाख अस्सी हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. यदि ऐसे किसी न्यायाधीश ने किसी उच्च न्यायालय में पेंशन के लिए कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो यह निम्नलिखित मापमान के अनुसार अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा।

	प्रति वर्ष रुपए
पेंशन के लिए सात वर्ष की संपूरित सेवा के लिए	34696
पेंशन के लिए आठ वर्ष की संपूरित सेवा के लिए	41642
पेंशन के लिए नौ वर्ष की संपूरित सेवा के लिए	48559
पेंशन के लिए दस वर्ष की संपूरित सेवा के लिए	55508
पेंशन के लिए ग्यारह वर्ष की संपूरित सेवा के लिए	62462
पेंशन के लिए बारह या अधिक वर्षों की सेवा के लिए	69402

* * * * *

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्यांक 41) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

* * * * *

(छ) ''भारत में न्यायाधीश के रूप में सेवा'' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो या तो फेडरल न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में या ऐसे किसी न्यायालय और एक या अधिक उच्च न्यायालयों में की गई है और ''भारत में न्यायाधीश'' तथा ''भारत में न्यायाधीश के रूप में पेंशन के लिए सेवा'' का अर्थतद्नुसार किया जाएगा;

* * * * *

4क. कोई न्यायाधीश अपने पूर्ण सेवा काल में, जिसके अन्तर्गत सेवा की वह अवधि भी है जो उसने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या संघ या किसी राज्य के अधीन किसी पेंशन वाले पद पर या पुनर्नियोजन पर, यदि कोई हो, की है, अपने खाते में उपार्जित छुट्टी की अवधि की बाबत अपनी सेवानिवृत्ति पर छुट्टी वेतन के नकद समतुल्य का अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के अधीन ऐसी छुट्टी के भुनाए जाने के लिए विहित अधिकतम अवधि की सीमा तक दावा करने का हकदार होगा। छुट्टी भुनाना।

* * * * *

9. (*1*) किसी न्यायाधीश को, जब वह पूरे भत्तों पर की छुट्टी पर हो तब, संदेय छुट्टी भत्तों की मासिक दर, ऐसी छुट्टी के प्रथम पैंतालीस दिन के लिए होगी जो उसके वेतन की मासिक दर के बराबर है और उसके पश्चात् मुख्य न्यायमूर्ति के मामले में, उसके वेतन की मासिक दर का पचास प्रतिशत और प्रत्येक अन्य न्यायाधीश के मामले में, उसके वेतन की मासिक दर का पचपन प्रतिशत: छुट्टी भत्ते।

परन्तु जहां किसी न्यायाधीश को चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर पूरे भत्तों पर छुट्टी मंजूर की जाती है, वहां छुट्टी भत्तों की मासिक दर, ऐसी छुट्टी के प्रथम एक सौ बीस दिन के लिए, उसके वेतन की मासिक दर के बराबर दर होगी।

(*2*) किसी न्यायाधीश को, जब वह आधे भत्तों पर छुट्टी पर हो, संदेय छुट्टी भत्तों की मासिक दर मुख्य न्यायमूर्ति के मामले में, उसके वेतन की मासिक दर का पच्चीस प्रतिशत और प्रत्येक अन्य न्यायाधीश के मामले में, उसके वेतन की मासिक दर का साढ़े सत्ताईस प्रतिशत होगी:

परन्तु धारा 4 की उपधारा (2)(क) (iii) के अधीन किसी न्यायाधीश के छुट्टी के खाते में जमा छुट्टी की बाबत उसे संदेय छुट्टी भत्तों की मासिक दर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसे अनुज्ञेय छुट्टी भत्तों की दर से अधिक नहीं होगी और वह सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा संदेय होगी।

* * * * *

13. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, उसकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन, अनुसूची के भाग 1 के उपबन्धों के अनुसार और केवल तभी संदेय होगी जब तक— न्यायधीशों को संदेय पेंशन।

(क) उसने पेंशन के लिए भारत में न्यायाधीश के रूप में सेवा के कम से कम सात वर्ष पूर न करे लिए हों; अथवा

(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु न प्राप्त कर ली हो; अथवा

* * * * *

स्पष्टीकरण—इस धारा में, ''न्यायाधीश'' से ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य न हो या जिसने संघ या किसी राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण न किया हो, और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो 20 मई, 1954 को न्यायाधीश के रूप में सेवा में था और इसके अन्तर्गत ऐसा न्यायाधीश भी है जिसने, भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होते हुए या संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण कर लेने पर, अनुसूची के भाग 1 के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है।

ऐसे न्यायधीशों की बाबत जो सेवा के सदस्य हैं पेंशन के लिए विशेष उपबन्ध।

14. (*1*) प्रत्येक न्यायाधीश की,—

(क) जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य है, उसकी सेवानिवृत्ति पर, अनुसूची के भाग 2 के उपबन्धों के अनुसार पेंशन दी जाएगी;

(ख) जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य नहीं है किन्तु जो संघ या राज्य के अधीन किसी अन्य (पेंशन योग्य पद) पर रहा है, अपनी सेवानिवृत्ति पर, अनुसूची के भाग 3 के उपबन्धों के अनुसार पेंशन दी जाएगी;

* * * * *

कुटुम्ब पेंशन और उपदान।

16क. (*1*) जहां किसी ऐसे न्यायाधीश की, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 1986 के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् सेवा में है,— 1986 का 38

* * * * *

(*2*) ऐसे नियम, अधिसूचनाएं और आदेश, जो केन्द्रीय सिविल सेवा के प्रथम वर्ग के अधिकारी को या उसके सम्बन्ध में, मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान फायदा प्रदान किए जाने की बाबत तत्समय प्रवृत्त है (जिनके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए पेंशन की कटौतियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं) ऐसे न्यायाधीश के सम्बन्ध में, जो 1974 के अक्तूबर के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् सेवा में है और जिसकी निवृत्ति या मृत्यु उन परिस्थितियों में हो जाती है जिनको धारा 16 लागू नहीं होती है, मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान फायदा प्रदान किए जाने के लिए या उसके संबंध में इन उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि—

(i) उपदान का हकदार होने के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा दो वर्ष छह मास होगी;

(ii) उपदान की रकम की संगणना न्यायाधीश के रूप में प्रत्येक संपूरित छह मास की अवधि की सेवा के लिए दस दिन के वेतन के आधार पर की जाएगी;

स्पष्टीकरण—उपधारा (*2*) में ''न्यायाधीश'' पद का वही अर्थ है जो धारा 13 में है।

* * * * *

स्टर्लिंग पेंशन का रुपयों में संपरिवर्तन।

18. केवल स्टर्लिंग में अभिव्यक्त पेंशनें, यदि वे भारत में दी जाएं तो विनिमय की ऐसी दर से, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, रुपयों में संपरिवर्तित की जाएंगी।

* * * * *

भविष्य निधि।

20. प्रत्येक न्यायाधीश साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) में अभिदाय करने का हकदार होगा:

परन्तु ऐसा न्यायाधीश जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य है या जिसने संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य सिविल पद धारण किया है, उस भविष्य निधि में अभिदाय करता रहेगा जिसमें वह न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व अभिदाय करता था:

परन्तु यह और कि ऐसा न्यायाधीश, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त किया गया था, उस भविष्य निधि में अभिदाय करता रहेगा जिसमें वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व अभिदाय करता था।

* * * * *

अनुसूची

(धारा 13 और 14 **देखिए**)

न्यायाधीशों की पेंशनें

भाग 1

1. इस भाग के उपबंध ऐसे न्यायाधीश को लागू होंगे जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य नहीं है या जो संघ या किसी राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य पद पर नहीं रहा है और किसी ऐसे व्यक्ति को भी लागू होंगे जो

20 मई, 1954 को न्यायाधीश के रूप में सेवा में था और ऐसे न्यायाधीश को भी लागू होंगे जिसने भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होते हुए या संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य सिविल पद पर रहते हुए, इस भाग के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है।

* * * * *

भाग 2

1. इस भाग के उपबंध ऐसे न्यायाधीश को लागू होंगे जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य है और जिसने भाग 1 के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन नहीं किया है।

2. ऐसे न्यायाधीश को संदेय पेंशन निम्नलिखित होगी,—

(क) भारत में न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा भारतीय सिविल सेवा की सेवा मानते हुए वह, पेंशन जिसका वह न्यायाधीश न नियुक्त किए जाने की दशा में, भारतीय सिविल सेवा के साधारण नियमों के अधीन हकदार है, और

(ख) पेंशन के लिए उच्चतम न्यायालय में सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए ग्यारह हजार दो सौ पैंसठ रुपए की अतिरिक्त पेंशन:

* * * * *

GMGIPMRND—2120LS(S3)—07.08.2015.